बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं :–0151–2226902, 0151–2226905,
EMAIL ADDRESS :-nagarnigambikaner@gmail.com,Website :- bikanermc.org

क्रमांक/न.नि.बी/भू.वि./2021/ दिनांक.....

विज्ञप्ति

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69 क एवं राजस्थान नगर पालिका (गैर–कृषिक भूमि का अभ्यर्पण और पूर्ण स्वामित्व पट्टे की मंजूरी) नियम, 2015 के तहत् कोई भी व्यक्ति जो नगर निगम क्षेत्र के भीतर नगर निगम द्वारा जारी किसी पट्टे या अनुज्ञप्ति के अधीन से अन्यथा गैर–कृषि भूमि धारित करता है, वह नगर निगम, बीकानेर के पक्ष में अपने पट्टाधृत अधिकारों को प्राप्त करने के उद्देश्य से उक्त भूमि का अभ्यर्पण कर सकेगा एवं नगर निगम बीकानेर ऐसे अधिकारों को स्वीकार करते हुए नियमानुसार फीस व प्रभार राशि जमा करवाये जाने के उपरान्त ऐसे भूमि धारक को उसके नाम से उक्त भूमि का फ्री–होल्ड पट्टा जारी कर देगी।

उक्त प्रकार की भूमि धारण करने वाले व्यक्ति जो अपने नाम से भूमि का पट्टा प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, निर्धारित प्रफोर्मा में प्राधिकृत अधिकारी, आयुक्त नगर निगम, बीकानेर के नाम से आवेदन पत्र निम्नलिखित दस्तावेजों सहित मुख्य कार्यालय नगर निगम, बीकानेर में प्रस्तुत कर सकेंगे:–

1. आवेदन पत्र (प्ररूप–1)
2. शपथ–पत्र (प्ररूप–2) नोटेरी पब्लिक/शपथ आयुक्त द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित
3. क्षतिपूर्ति बंधपत्र (प्ररूप–3) नोटेरी पब्लिक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित
4. आवेदन फीस के रसीद की प्रति
5. अभ्यर्पित भूमि पर अधिकारों के सत्यापित सबूतों की प्रति यथा स्टेट समय के पट्टे व रजिस्ट्रीयां, कस्टोडियन के पट्टे, नगर निकाय की निर्माण स्वीकृतियां, सिटी सर्वे में दर्ज निजी स्वामित्व दस्तावेज, पंचायत का पट्टा/आवेटन–पत्र/अधिकार पत्र, वर्ष 01.01.1990 से पूर्व निष्पादित रजिस्ट्रीयाँ/पारिवारिक बंटवारानामा/वसीयत, कब्जे का साक्ष्य, बिजली – पानी के बिल गृहकर रसीद आदि।
6. अभ्यर्पित भूमि का नक्शा, जिसमें स्थल की स्थिति, पहुंच सड़के, पार्श्व क्षेत्रों, खसरा/भूखण्ड संख्याकों, भूमि की सीमाऐं, विध्यमान कच्ची–पक्की संरचनाओं, मास्टर/सेक्टर योजनाओं में प्रस्तावित सड़को की चौड़ाई एवं उतर दिशा ओर मापमान आदि को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो, और
7. अन्य सुसंगत जानकारी

उक्त आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त योजनाऐं, विवरण आवेदक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित कर प्रस्तुत किये जायेंगे। आवेदन पत्र ऑनलाईन / ऑफलाईन प्रस्तुत किये जा सकेंगे। उक्त आवेदन पत्र के प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी, आयुक्त नगर निगम, बीकानेर द्वारा उक्त आवेदन पत्र एवं उसके संलग्न दस्तावेजों की संवीक्षा एवं सत्यापन की कार्यवाही की जायेगी तदुपरान्त प्ररूप–5 में 15 दिवस हेतू हितबद्ध व्यक्तियों से आक्षेप मांगते हुए लोक सूचना जारी की जायेगी, जिसका प्रकाशन कार्यालय के सूचनापट्ट, समर्पित भूमि के निकटवर्ती सहजदृश्य स्थान एवं राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जायेगा, जिसकी लागत स्वयं आवेदक द्वारा वहन की जायेगी।

Scanned with CamScanner

प्रकाशन के पश्चात् एवं आपत्ति, यदि कोई प्राप्त हो, के संबंध में अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त कर अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के उपरान्त प्ररूप–6 में अभ्यर्पण स्वीकार किया जायेगा। उक्त भूमि के अभ्यर्पण कार्यवाही मंजूरी के पश्चात् साईट प्लान तैयार करने एवं 90 दिन के भीतर प्रभार राशि जमा करवाये जाने के पश्चात् अध्यक्ष एवं आयुक्त नगर निगम, बीकानेर के हस्ताक्षरों सहित सम्बन्धित व्यक्ति के पक्ष में प्ररूप–7 में फ्री–होल्ड पट्टा विलेख जारी कर, पट्टाधारी के खर्च पर सम्यक रूप से स्टाम्पित और रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा।

नगर निगम, बीकानेर से अनुज्ञा मंजूरी या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि उक्त अनुज्ञा मंजूरी या पट्टा विलेख किसी तथ्य को छिपाकर या दूर्व्यपदेशन या कपट द्वारा या कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर या दुरभिसंधि या विधि का उल्लंधन कर प्राप्त किया गया है अथवा अनुज्ञा या पट्टा विलेख के किन्ही निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है, तो पट्टाकर्ता को समुचित सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् उक्त अनुज्ञा को प्रतिसंहत या पट्टा विलेख को रद्द किया जा सकेगा और जिसके लिए पट्टाकर्ता किसी प्रतिकर एवं संदत रकम के प्रतिदाय का हकदार नहीं होगा।

निर्धारित आवेदन पत्र, शपथ पत्र, बंधपत्र की प्रति, आवेदन शुल्क, प्रभारों आदि सहित अन्य जानकारी मुख्य कार्यालय नगर निगम, बीकानेर से किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय पर प्राप्त की जा सकती है एवं इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र व शपथ–पत्र आदि नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट bikanermc.org पर भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेंगे।

दिनांकः– 27.07.2021

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

Scanned with CamScanner

प्ररूप–1

[नियम–4(1) देखिए]

भूमि में के अधिकारों के अभ्यर्पण की अनुज्ञा के लिए आवेदन

प्रेषिती,

प्राधिकृत अधिकारी,

.....

.....

फोटो

विषयः– नगरपालिक क्षेत्र में अवस्थित राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–क में विनिर्दिष्ट भूमि में के अधिकारों के अभ्यर्पण की अनुज्ञा के लिए और पूर्ण स्वामित्व पट्टा की मंजूरी के लिए आवेदन।

श्रीमान्,

मैं/हम, भूमि में के विद्यमान अधिकारों के अभ्यर्पण की अनुज्ञा के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–क के अधीन इसके द्वारा आवेदन करता हूं/करते हैं, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी हैं:–

1.	आवेदक के ब्यौरे (क) नाम (ख) पिता/पति का नाम (ग) पूरा पता	

Scanned with CamScanner

2.	क्षेत्र का ब्यौरा जिसके लिए आवेदन किया गया है (क) ग्राम और तहसील या वार्ड और शहर का नाम (ख) मकान सं. और क्षेत्र	
3.	आवेदन के साथ संलग्नक (क) भूमि में के अधिकारों के समर्थन में दस्तावेजों जैसे विक्रय विलेख इत्यादि की प्रमाणित प्रति और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के पड़ौस सहित आवेदित और पार्श्वस्थ भूमि के ब्यौरे। (ख) प्ररूप–2 में नोटरी पब्लिक/शपथ आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित शपथपत्र (ग) प्ररूप–3 में नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र	
4.	क्या भूखण्ड सीमा में कोई हाई/लो टेन्शन लाइन या ट्रान्सफार्मर है?	
5.	क्या आवेदित भूमि अर्जन के अधीन है?	
6.	क्या आवेदित भूमि के संबंध में कार्यवाहियां नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन लम्बित हैं?	
7.	क्या भूमि देवता या वक्फ से संबंधित है?	
8.	क्या भूमि केन्द्रीय या राज्य सरकार या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा गठित या के नियंत्रण के अधीन किसी लोक उपक्रम या प्राधिकरण या कानूनी निकाय या अकानूनी निकाय से संबंधित है?	
9.	रेलवे लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य किसी सड़क से दूरी	
10.	लम्बित न्यायालय प्रकरण (यदि कोई हो)	

Scanned with CamScanner

11.	किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित रोक आदेश या व्यादेश के ब्यौरे	
12.	आवेदित भूमि की पहुंच सडक की चौड़ाई।	
13.	मास्टर योजना/सेक्टर योजना के अधीन वर्तमान भू. उपयोग।	
14.	संदेय प्रभार	
15.	चालान की सं. और तारीख जिसके द्वारा फीस निक्षिप्त की गयी है।	
16.	कोई अन्य सुसंगत जानकारी	
17.	दस्तावेजों की कुल संख्या	
18.	पृष्ठों की कुल संख्या	
19.	आवेदन की तारीख	

घोषणा

(1) मैं/हम, इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं/करते है कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

(2) यह घोषणा की जाती है कि अनुज्ञा के लिए शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंधपत्र और उपर्युक्त वर्णित दस्तावेजों के साथ इसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन सत्य और सही है और आवेदक नगरपालिका के पक्ष में भूमि के अधिकारों का अभ्यर्पण करने के लिए सक्षम है। मैं/हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, उक्त भूमि के उपयोग करने के मेरे/हमारे अधिकारों को निर्वापित करने का इच्छुक हूं/इच्छुक हैं। अतः मुझे/हमें विधि के अनुसार अपेक्षित अनुज्ञा मंजूर करें।

Scanned with CamScanner

(3) इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त भूमि, जिसके लिए अनुज्ञा चाही गयी है, इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निर्बन्धित प्रवर्ग के अधीन नहीं है।

आवेदक का पता

आवेदक के हस्ताक्षर

.....

(नाम)

.....

संपर्क करने का संख्यांक और ई–मेल पता

प्राप्ति

आवेदक ..... ने दिनांक ..... को आवेदन प्रस्तुत किया है, जो दिनांक ..... को रजिस्टर में क्रम संख्यांक ..... पर रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

प्राप्तकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

प्ररूप–2

[नियम–4(1) देखिए]

शपथ–पत्र

मैं / हम

1. श्री..... पुत्र श्री .....
   आयु ..... निवासी .....
   ..... जिला .....
2. श्री..... पुत्र श्री .....
   आयु ..... निवासी .....
   ..... जिला .....

फोटो

इसके द्वारा शपथ लेता हूं / लेते हैं और

निम्नलिखित रूप में घोषणा करता हूं / करते हैं:–

1. कि मैं / हम नीचे वर्णित भूमि का / के धारक हूं / हैं और ऐसी भूमि का पूर्ण स्वामित्व पट्टा विलेख जारी करने के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69–क और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन अभ्यर्पण की अनुज्ञा मंजूर करने के लिए आवेदित भूमि के बारे में किसी न्यायालय द्वारा कोई रोक / व्यादेश प्रवृत्त नहीं है।

क्र.सं.	भूमि के संपूर्ण ब्यौर अर्थात् वार्ड / कालोनी / गली और पड़ोस द्वारा सीमाबद्ध	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लंबाई और चौड़ाई सहित क्षेत्र (मीटर में)

2. कि मैं / हम, आवेदन में वर्णित प्रयोजन के लिए और सुसंगत विधियों के उपबन्धों के अनुसार अपने अधिकारों को अभ्यर्पित करने का / के इच्छुक हूं / हैं।

14

Scanned with CamScanner

3. कि मैं/हम नगरपालिका को लागू विद्यमान विधियों और नियमों के अनुसार समस्त शोध्यों और रकम का संदाय करने के लिए इसके द्वारा स्वयं पाबंद रहूंगा/रहेंगे।

4. कि राज्य सरकार और नगरपालिका द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त निदेशों और आदेशों का आवेदक द्वारा पालन किया जायेगा।

5. कि आवेदित भूमि केवल उसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जायेगी जिसके लिए यह मंजूर की गयी अनुज्ञा के अनुसार नगरपालिका के पक्ष में अधिकारों के अभ्यर्पण से पूर्व धारित की गयी थी और नगरपालिका के विहित मानकों और अनुमोदित योजना के अनुसार विकसित की जायेगी। उक्त भूमि विद्यमान विधि के अधीन नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी अन्य उपयोग के लिए नहीं रखी जायेगी।

6. कि आवेदन के साथ संलग्न किये गये दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और प्रमाणिक हैं और मेरे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

7. कि मैं/हम, नगरपालिका के सम्बन्ध में लागू सुसंगत भवन उप-विधियों, विनियमों नियमों के उपबन्धों का इसके द्वारा स्वयं पालन करूंगा/करेंगे।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं/हम उपर्युक्त नामित अभिसाक्षी इसके द्वारा सत्यापित करता हूं/करते है कि उपर्युक्त शपथ पत्र के पैरा 1 से 7 तक की अन्तर्वस्तु सत्य और सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है। अतः ईश्वर मेरी सहायता करें।

अभिसाक्षी

मेरे द्वारा पहचान किया गया:

Scanned with CamScanner

प्ररूप–3

[नियम–4(1) देखिए]

क्षतिपूर्ति बंधपत्र

मैं/हम

1. श्री..... पुत्र श्री .....
   आयु ..... निवासी .....
   ग्राम.....तहसील..... जिला .....
2. श्री..... पुत्र श्री .....
   आयु ..... निवासी .....
   ग्राम.....तहसील..... जिला .....

फोटो

इसके द्वारा शपथ लेता हूं/लेते हैं और

निम्नलिखित रूप में क्षतिपूर्ति करता हूं/करते हैं:–

(1) कि मैं/हम इसके नीचे वर्णित भूमि, जिसके लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–क के अधीन अनुज्ञा की मंजूरी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, का/के धारक हूं/हैं।

क्र.स.	भूमि के सपूर्ण ब्यौरे अर्थात् बाई/कालोनी/गली और पड़ोस द्वारा सीमाबद्ध	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लंबाई और चौड़ाई सहित क्षेत्र (मीटर में)

Scanned with CamScanner

(2) कि मैं/हम, मामले में नगरपालिका द्वारा मंजूर की गयी अनुज्ञा के कारण कारित किसी हानि, यदि कोई हो, के लिए नगरपालिका को क्षतिपूर्ति करने के लिए स्वयं को इसके द्वारा पावंद करता हू/है।

(3) कि मैं/हम मंजूर की गयी अनुज्ञा या विक्रय विलेख के निष्पादन या अन्यथा के या आवेदक द्वारा कारित किसी कृत्य या लोप के कारण मामले में उद्भूत किसी विवाद के कारण कारित हानि, यदि कोई हो, के लिए नगरपालिका को क्षतिपूर्ति करने के लिए स्वयं को इसके द्वारा पावंद करता हूं/हैं।

(4) कि नगरपालिका को आवेदक की ओर से किसी शर्त, नियम या आदेश के भंग पर आवेदक की अनुज्ञा को प्रत्याहृत करने और पट्टा विलेख को रद्द करने का अधिकार होगा और आवेदक इस प्रक्रिया में किसी को कारित किसी धनीय हानि के लिए दायी होगा।

आवेदक

Scanned with CamScanner